

श्री जगदीश शर्मा श्री कैलाश चौरा-भगतानपुरा तहसील माण्डल [विगैरा]
(संख्यांकित ५१ पत्र सत्वंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-06-54

::आदेशः

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
जी नं० 5574/4757, 5581/5575 कुल कित्ता 0.2 रकबा 0.6999 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.5.54 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
पेकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
गरी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतानपुरा पटवार
भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 5574/4757, 5581/5575
कित्ता 0.2 रकबा 0.6999 हेक्टेयर भूमि के दारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी भिजे
तु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगतानपुरा
500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कच्चे
स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खाड़ी होने पर
ने नहीं की जावें।

उपस्थित अधिकारी
माण्डल विभाग, भगतानपुरा

- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपस्थित अधिकारी
माण्डल विभाग, भगतानपुरा